

राजस्थान सरकार

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर (राज.)

अनुप्रति योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

जिला अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
नागौर



1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	माता नाम	
4.	जन्म तिथी	
5.	वर्तमान निवास स्थान का पता	
6.	स्थायी पता	
7.	शैक्षणिक योग्यता	
8.	जाति (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
9.	मूल निवास (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
10.	माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय का विवरण (सक्षम अधिकारी का आय प्रमाण पत्र एवं आयकर दाता नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
11.	(अ) संघ लोक सेवा आयोग/राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का विवरण (ब) परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा प्रतियोगी परीक्षा में चयन होने पर सेवा विवरण अंकित करें । (स) प्रार्थी का आवंटित परीक्षा रोल नम्बर	
12.	जिस संस्था से प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण तथा जमा करवाई गई फीस का विवरण मय रसीद सहित ।	
13.	यदि पूर्व में इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किया गया है तो उसका विवरण तथा इस योजना का लाभ चालू वित्तीय वर्ष में नहीं लिया गया संबंधी शपथ पत्र संलग्न करें ।	
14.	अभ्यर्थी यदि राजकीय सेवा में है तो सेवा का विवरण	
15.	एक वित्तीय वर्ष में उत्तीर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का विवरण	
16.	परीक्षा का विवरण जिसके प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया है ।	
17.	प्रारम्भिक पास परीक्षा विवरण एवं प्रमाण पत्र	

प्रार्थी के हस्ताक्षर

.....2

कार्यालय के उपयोग हेतु

1	प्रार्थी का नाम जाति व पूर्ण पता अंकित करें	
2	प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर स्वीकृत राशि	
3	अ	मुख्य परीक्षा की तैयार हेतु स्वीकृत राशि का विवरण
	ब	यदि राशि स्वीकृत नहीं हुई तो कारणों का विवरण
4	अ	मुख्य परीक्षा पास करने पर साक्षात्कार हेतु स्वीकृत राशि का विवरण
	ब	यदि राशि स्वीकृत नहीं हुई तो कारणों का विवरण
5.	प्रार्थी का सेवा में चयन होने पर सेवा सहित पूर्ण विवरण :	
6.	लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा परिणाम की समाचार पत्र की प्रति सुरक्षित रखें एवं प्रकाशन समाचार पत्र एवं दिनांक अंकित करें ।	

प्रभारी अधिकारी
(जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
के हस्ताक्षर एवं मोहर)